



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारूप-'ज')

GH 761869

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम सतोन्द्र कुमार एवं डा० अजय पाल सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबन्धक रामबेटी महिला महाविद्यालय समिति यदुवंशनगर, तालग्राम, कन्नौज उ०५०० शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

* १. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी तालग्राम, कन्नौज उ०५०० नामक समिति द्वारा संस्थापित की गयी है।

यह कि हमारी सोसाइटी के नाम तालग्राम देहात में गाटा संख्या 3020 रकवा 0.8100 हेक्टेयर १२ एकड़े कुल रकवा 0.8100 हेक्टेयर भूमि है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

* २. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 3020 रकवा 0.8100 हेक्टेयर कुल रकवा 0.8100 हेक्टेयर (२ एकड़े) भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक ०२.०३.२०२२ द्वारा पारित किया गया है।

३. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवशो के अनुसार किया गया है।

४. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुता किया गया है।

५. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान किया जायेगा।

६. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में संम्बन्ध प्रदान किया जायेगा।

७. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित सभी प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०५०० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के

ATTESTED

RAM BILAS
(Advocate) N.G.T.A.C.P.
1st. Sadar, Faizabad (U.P.)
Reg. No. 58/2/2000



Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलास रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार की सुविधा किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

* यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं नुज़े मान्य रूप से संस्था के बाह्य करता/करती है कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना निजी जानकारी में पूर्ण रूप से संरक्षित है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ए० प्रबन्धक

प्रबन्धक
रामबेटी महिला महाविद्यालय समिति
युवांशनगर, तत्त्वज्ञान-कला०

ATTESTED

RAM B.
(Advocate) NOTARY
1st. Sadar, Faizkhana (U.P.)
Reg. No. 53/26/2009

ए० अध्यक्ष

